

31/5/18

पत्रावली उत्तर ई ई 12/5/18
 द्वारा निम्नानुसार की गई व्यवस्था
 बोलीगत सुवर्ण निष्ठावृत्त निष्ठ की
 500 रु की रकम इन्हें बोली व्यवस्था
 की गई 12/5/18 द्वारा निम्नानुसार अर्थात्
 चक्रान्त रु 59 कि 31/5/18 द्वारा राधकेश
 के काम कला की गई है जो शामिल मिलर ही
 एक मांग कर लेता की जाने पत्रावली इच्छा
 द्वारा अतिकमी को वेदपत्र कर कठजा वस्तु
 सरकार छाल कर विद्यमान है एवं वापस
 राशी वस्तु कर भी गई है पत्रावली के
 शेष कार्यवाही उपेक्षित नहीं है पत्रावली
 को तथा सुमा शेकर कारिदा इफत है।

परिचित्त की पृष्ठ सं. 05 पृ. 03
 दिनांक 15.5.18 राशि 500/- रु.



पालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर



सं० 64/18

वर्ष

गण सरकार बनाम विनोद कुमार सोहनलाल जाट सा. 3 LGM

करण दिनांक 25-1-18 निर्णय दिनांक 20-2-18

गण उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

रीख क्रम	हुकम या कार्यावाही का इतिशयलस जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
- 2-18	<p>पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बत् 2074 रकी में भूमि रकबा राज दर्ज है।</p> <p>अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का 15 BLD A का प्रतिवेदन दिनांक 25-1-18 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी <u>विनोद कुमार</u> पुत्र <u>सोहनलाल</u> जाति निवासी <u>3 LGM</u> को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक <u>4 LGM</u> मु.नं. <u>244/414</u> कुल <u>1:265</u> है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का <u>10</u> गुणा राशि <u>10/-</u> शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 12 BLD A को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 20-2-18 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर </p> <p> 'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 05 की क्रम सं. 9 दिनांक 12-3-18 को 101- दर्ज किया गया। </p> <p style="text-align: right;">  ता 0 रा 0 ले 0 </p>	

फर्द अहकाम

(नियम 26)

(1)

ज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर
कार बनाम विनोद कुमार 510 सोहन लाल जाट 3LGM

स्त मुकदमा राज.उप.अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत

सं. 64

सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
1/20/18	<p>पटवारी हल्का <u>15 BLD. A</u>..... ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. <u>4LGM</u>..... के मुर्ब्बा नं. <u>244</u>..... के <u>1.265</u> बीघा, भूमि रकबा <u>414</u> राज है जिस पर श्री <u>विनोद कुमार</u> पुत्र श्री <u>सोहन लाल</u> जाति <u>जाट</u>..... सा. <u>3LGM</u>..... ने अतिक्रमण कर सम्बत् <u>2074</u> फसल <u>रबी</u> नाजायज काशत कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक <u>20/02/2018</u> को पेश है।</p>	<p>नो/क फांफ 87 25/11/18</p> <p>कुर्क आदेश फांफ 88 25/11/18</p>
20-2-18.	<p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	